न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/148 **दायरा दिनांक : 18.09.2023**

उनवान

1. सुन्दरलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   1/1. रूकमणी बाई पत्नी सुन्दरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   1/2. राकेश कुमार पुत्र सुन्दरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   1/3. आरती पुत्री सुन्दरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   1/4. अर्चना पुत्री सुन्दरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   1/5. संतोष पुत्री सुन्दरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
2. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   2/1. राजेन्द्र दुबे पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   2/2. कमलेश दुबे पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   2/3. अखिलेश दुबे पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   2/4. सरला पत्नी बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
3. रमेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
4. कमला बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
5. धापू बाई पुत्री कन्हैयालाल, कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
6. सुशीला बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
7. मन्ना प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   7/1. कलावती पत्नी मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   7/2. दिनेश पुत्र मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1. ओम प्रकाश पुत्र गोविन्दराम, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
2. मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   2/1. सीमा पुत्री मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   2/2. पप्पी उर्फ श्वेता पुत्री मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   2/3. पिंकी पुत्री मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
   2/4. चंचल पुत्री मन्ना प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
3. नवीन कुमार पुत्र अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी मण्डी राजेन्द्रपुर, चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   3/1. काव्या पुत्री नवीन कुमार, आयु 8 वर्ष नाबालिग जर्ये वली ऊषा मौसी, निवासी उज्जैन मध्यप्रदेश
4. नेहा कुमारी पुत्री अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी हैदराबाद
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – क./राजस्व/236–37 निर्णय दिनांक 19.05.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण व रेस्पोडेंट नं. 3 व 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि कस्बा कोल्वी उर्फ मण्डी राजेन्द्रपुर, तहसील गंगधार में जमाबंदी संख्या 163 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 539 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 550 रकबा 19 बिस्वा स्थित है। यह भूमि वादी तथा प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने प्ररकण संख्या 138/2006 उनवानी मूर्ति श्रीजी विराजमान मंदिर बनाम कन्हैया लाल वगैरहा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2007 के विरूद्ध यह अपील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय हाजा में पेश की, न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2008 से अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने प्रकरण सं. 88/दावा/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिसकी अपील न्यायालय हाजा में होने पर न्यायालय हाजा ने अपने प्रकरण संख्या 154/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2018 से अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2017 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह उपरोक्त तनकीयात कायम कर साक्ष्य इत्यादि के पश्चात ही पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 19.05.2020 स्थगन आदेश पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 22.03.2021 से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.1978 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस पत्रावली में आदेश जैर अपील दिनांक 19.05.2020 पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय जैर अपहील पारित करने से पूर्व अपीलांट वादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ता फैसला स्थगन आदेश जारी किया गया है। कानूनन ता फैसला स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित एवं प्रभावित पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट वादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय जैर अपील एक तरफा रूप से पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादीगण के द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद में ओम प्रकाश पुत्र गोविन्दराम की हैसियत प्रतिवादी कम 7 थी एवं प्रतिवादी कम 7 गोविन्दराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउंटर क्लेम पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कम 7 किसी भी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, कानूनन प्रतिवादी की हैसियत से निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र वही व्यक्ति पेश कर सकता है जिसने दावा किया हो और प्रतिवादी की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है तो उसे काउंटर क्लेम पेश करना आवश्यक है, इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई उचित गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जैर अपील में स्पष्ट लिखा है कि पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पुनः सुनवायी हेतु न्यायालय में आयी है, ऐसी स्थिति में पत्रावली दर्ज होने के बाद ही एवं पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देने के बाद ही किसी तरह का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 22.03.2021 को दर्ज की जबकि निर्णय जैर अपील दिनांक 19.05.2020 को ही पारित कर दिया गया। वादी कम 1 सुन्दरलाल एवं वादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कम 2 बाबूलाल एवं वादी कम 4 मुन्नाप्रसाद फौत हो चुके हैं जिसके कायम मुकामान अपील में बनाकर पेश है एवं वादी कम 8 व नदी कम 10 फौत हो चुके हैं जिनके कायम मुकामान काव्या अपील में पक्षकार बनायी गयी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.05.2020 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.07.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमने उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के निर्णय दिनांक 19.05.2020 के विरूद्ध अपील पेश की है। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम काल्वी की आराजी का वादीगण खातेदार है। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.12.2018 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह उपरोक्त तनकीयात कायम कर साक्ष्य इत्यादि के पश्चात ही पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित होवे। दिनांक 22.03.2021 को पहली बार अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश हुई। दिनांक 19.05.2020 को ओम प्रकाश का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बिना पत्रावली पेश हुए ही स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थना पत्र पर हमें नोटिस जारी नहीं किये गये। पत्रावली पेश नहीं हुई, बिना सुने ही स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी नहीं लगाया गया। जबकि शपथ पत्र पेश करना कानूनी रूप से आवश्यक है। अपील के डीले का शमन किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर हमें सुनवायी का अवसर प्रदान किया जावे। एक्स पार्टी आदेश की मियाद 30 दिवस होती है। 30 के अन्दर उसे निर्णित करना चाहिए। ऑर्डर 39 नियम 3 की पालना आवश्यक है जो नहीं की गई। वादी हम थे प्रतिवादी का काउंटर क्लेम नहीं था। स्थगन आदेश पेश नहीं कर सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे और अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1975 पेज 142 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र पर जारी आदेश प्रशासनिक आदेश लगता है। अपील मेन्टेनेबल नहीं है। अतः खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 1995(2) आर.बी.जे. पेज 435, आर.आर.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डी. 1987 पेज 395, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409, आर.आर.डी. 1984 पेज 45 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील सं. 154/2017 दायर दिनांक 20.11.2017 से अपील दायर की गई। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.12.2018 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2017 को अपास्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर साक्ष्य इत्यादि के पश्चात ही पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2021 को प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पुनः सुनवाई प्रारम्भ की गई जो जैरकार है।

वादी अपीलांट द्वारा दिनांक 18.09.2023 को अपील सं. 2023/148 से उपखण्ड अधिकारी, गंगधार, जिला झालावाड द्वारा तहसीलदार गंगधार, थानाधिकारी गंगधार को अपने पत्र कमांक–राजस्व/2020/236–37 दिनांक 19.05.2020 को जारी पत्र के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने इस पत्र के द्वारा तहसीलदार एवं थानाधिकारी गंगधार को आराजी ग्राम कोल्वी के खसरा नं. 539 रकबा 2.07 बीघा एवं खसरा नं. 550 रकबा 0.19 बीघा पर न्यायालय का फैसला आने तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जावे। इस हेतु सम्बन्धित को पाबन्द करें, यह निर्देश प्रदान किये हैं। उक्त पत्र कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार, जिला झालावाड़ के कार्यालय से जारी किया गया एक प्रशासनिक पत्र है। इस पत्र के साथ न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश की कोई प्रति भी सलंग्न नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा दिनांक 19.05.2020 को जारी इस पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दायर करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में मेंटेनेबल नहीं है। इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय को केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 व 225 के तहत तृतीय अनुसूची में अंकित निर्णय, डिक्री व आदेशों के विरूद्ध पेश अपीलों पर ही सुनवायी करने का क्षेत्राधिकार है।

अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.05.2020 आर.आर.टी. की धारा 212 के अन्तर्गत जारी निर्णय की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपीलांट द्वारा उक्त पत्र के विरूद्ध धारा 225 आर.टी.ए. के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा